

प्रेषक

लेखा अधिकारी,
कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

- सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारी, (DDOs)
हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।

क्रमांक: लेखा/2024/19355-407
दिनांक: 17/07/2024

विषय:- चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के संबंध में बजट की मांग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में।

- विषयोक्त मामलें में कार्यालय के ध्यान में आया है कि क्षेत्रिय कार्यालयों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के संबंध में अतिरिक्त बजट की मांग बारे अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। कार्यालय द्वारा मामलें का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों हेतु बजट की मांग निम्न प्रोफार्मा अनुसार मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि समय रहते मामलें में कार्यवाही अमल में लाई जा सके:-

Sr. No.	Name & Rank of Claimant	Basic Pay of claimant as on period of treatment	Hospital Name	Govt. Approved/ Un-approved Hospital	Period of treatment	Sanction No. and Date	Amount of Rs. Imbursement.

यह आपके सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



लेखा अधिकारी,
कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Sr. No.	Name & Rank of Claimant	Basic Pay of Claimant as on period of treatment	Hospital Name	Govt./Approved /Un-approved Hospital	Period of Treatment	Sanction No. & Date	Amount of Reimbursement